झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

पत्र सं0-कार्य0का0सू0-06/2020- ..1483..../वि0स0।

प्रेषक,

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

सेवा में,

मानतीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान सभा,राँची।
माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण, झारखण्ड सरकार,राँची।

राँची,दिनांक- 03/09/2020

विषयः- पंचम् झारखण्ड विधान सभा के तृतीय (मानसून) सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम।

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय के पत्रांक-कार्य0का0सू0-06/2020-1482/वि0स0, राँची,दिनांक-03/09/20 के कम में निदेशानुसार मैं, पंचम् झारखण्ड विधान-सभा का तृतीय (मानसून) सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम की एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ, जिसमें यह दर्शाया गया है कि उक्त सत्र के दौरान दिनांक-18सितम्बर,2020 से 22सितम्बर,2020 तक की अवधि में होनेवाली बैठकों में भिन्न-भिन्न कोटि के कार्यों के निष्पादन के लिए कौन-कौन सी तिथियाँ नियत की गई हैं।

02. दिनांक-18 सितम्बर,2020 को शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो), विधान सभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीया राज्यपाल महोदया द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणिकृत प्रतियों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो),वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन,तत्पश्चात् शोक प्रकाश (यदि हो) लिये जायेंगे।

-:वित्तीय कार्यः-

03. **वित्तीय वर्ष-2020-21 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन एवं व्यवस्थापन**-दिनांक-18सितम्बर,2020 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन, दिनांक-21सितम्बर,2020 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी में निहित अनुदान मांग पर वाद-विवाद तथा, सरकार का उत्तर, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन,व्यवस्थापन एवं पारण होगा।

अतएव झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन के नियम-173 एवं 268(1) के अन्तर्गत उक्त व्यय विवरणी में सम्मिलित किसी माँग पर कटौती प्रस्ताव की सूचना नियम-168 के शिथिलीकरण के साथ दिनांक-18 सितम्बर,2020 को 04:00 बजे अप0 तक सचिव के कार्यालय कक्ष में देने हेतु समय नियत किया गया है।

कृ0पृ030

04. दिनांकः-19 सितम्बर,2020 एवं 20 सितम्बर,2020 को सभा की बैठक नहीं होगी।

-: विधायी कार्य :-

05. दिनांक- 22 सितम्बर,2020 को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो) होंगे।

-: गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर-सरकारी संकल्प) :-

06. संलग्न कार्यक्रम को देखने से यह विदित है कि दिनांक-22 सितम्बर,2020 को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर-सरकारी संकल्प)के लिए नियत किया गया है। झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-126 के अनुसार गैर-सरकारी संकल्पों की सूचना देने की अंतिम तिथि नियत दिन से 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व निर्धारित है। इसके तहत गैर-सरकारी संकल्पों की सूचना दिनांक-08सितम्बर,2020 04.00 बजे अप0 तक सचिव के कार्यालय कक्ष में दी जा सकती है।

मैं इस संबंध में आपका ध्यान झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-126 के द्वितीय परन्तुक की ओर भी आकृष्ट करता हूँ,जिसके अनुसार कोई सदस्य गैर-सरकारी संकल्प के लिए एक से अधिक सूचना नहीं दे सकते हैं।

07. शलाका- गैर-सरकारी संकल्पों की पूर्ववर्तिता निर्धारित करने के लिए सचिव के कार्यालय कक्ष में शलाका किया जायेगा, जिसके लिए 15 सितम्बर,2020 (04.00 बजे अप0) की तिथि निर्धारित की गयी है।

08. (क) प्रश्नों की सूचनायें देने के लिए चक्रानुवर्त्तित क्रम की सारणी अलग से परिचारित की जा रही है।

(ख) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्नों की प्राथमिकता शलाका द्वारा निर्धारित की जायेगी।

09. सत्र में भिन्न-भिन्न कोटि के कार्यों के लिए उपर्युक्त नियत तिथि ऐसे परिवर्तनों के अधीन है,जो समय-समय पर सदन में अभिज्ञापित किये जायेंगे अथवा दैनिक कार्य-सूची में दिखलाए जायेंगे ।

10. यदि कार्यवश तिथि-22सितम्बर,2020 के पश्चात् भी सत्र चलाना आवश्यक प्रतीत हुआ तो भिन्न-भिन्न कार्यों के निपटारे के लिए भिन्न-भिन्न तिथियाँ नियत करते हुए एक अनुपूरक कार्यक्रम बाद में निर्गत किया जायेगा।

कृ0पृ030

अतः अनुरोध है कि इस सचिवालय के द्वारा समय-समय पर प्रेषित कार्य-सूची सहित अन्य ऐसे कागजात जो आपके उपयोग एवं सत्रावधि में निदेश के लिए आवश्यक हो, उसे अपने साथ अवश्य लाने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन,

03/09/2020

(महेन्द्र प्रसाद)
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

03.09.20

भारत के संविधान के अधीन गठित पंचम झारखंड विधान सभा के तृतीय (मानसून) सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम

दिनांक 18 सितम्बर, 2020 (शुक्रवार)	–	1.	शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो)
		2.	विधान सभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में मा० राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सभा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
		3.	वित्तीय वर्ष 2020–2021 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन।
		4.	शोक प्रकाश (यदि हो)
दिनांक 19 सितम्बर, 2020 (शनिवार)	–		अवकाश
दिनांक 20 सितम्बर, 2020 (रविवार)	–		अवकाश
दिनांक 21 सितम्बर, 2020 (सोमवार)	–	1.	प्रश्नकाल ।
		2.	वित्तीय वर्ष 2020–2021 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर सामान्य वाद–विवाद, मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण।
दिनांक 22 सितम्बर,2020 (मंगलवार)	–	1.	प्रश्नकाल।
		2.	राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो)।
		3.	गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)

03.09.2020

Scanned with CamScanner